UPAG010063792026

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (एस.सी/एस.टी एक्ट), आगरा।
उपस्थित : शिव कुमार-II, एच0जे0एस0–UP06100
दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र सं0– 543/2026

श्रीमती विमला देवी ––––––– प्रार्थिया

बनाम

प्रभारी निरीक्षक, थाना शमशबााद, आगरा व अन्य ––––––––– विपक्षीगण

थाना–शमशाबााद, आगरा

दिनांक 22.07.2026

1– पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

2– प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. में संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रार्थिया व उसके पुत्र पंकज को थाना शमशाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 06.05.2026 को, मो0नं0 9569878471 से व्हाट्सएप कॉल से समय करीब 1.00 बजे सूचित किया गया कि थाने आकर मुजरिम ब्यान दर्ज कराने के लिए प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी जाटव को आना है। प्रार्थिया व उसका पुत्र पंकज जाटव, अपनी गाड़ी को लेकर समय करीब 3.00 बजे अपने किराये के निवास– पथौली से थाना–शमशाबाद पहुँचे तो थाने पर उपरोक्त मुकदमे के वादी सौरभ ठाकुर, गौरव ठाकुर, मनोज, राज कुमार, शेख ठाकुर आदि थाने पर उपस्थित थे। थानाध्यक्ष ने प्रार्थिया के पुत्र पंकज जाटव का मोबाइल एवं जामातलाशी लेकर हवालात में बन्द कर दिया और मुझ प्रार्थिया को जेल भेजने की धमकी दी। प्रार्थिया ने थानाध्यक्ष को अवगत कराया कि सौरभ ठाकुर आदि द्वारा प्रार्थिया के खेतों को जबरदस्ती धौंस में फसल बो रहे हैं और काट रहे हैं। उपरोक्त लोग गांव में 20 प्रतिशत की ब्याज पर उधार रूपये देते हैं और गरीबों के खेतों पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मियों ने रात लगभग 08.30 बजे एक प्राइवेट कार मंगवायी तथा कार चालक पप्पन पुत्र विजेन्द्र ठाकुर व राजकुमार ठाकुर अन्य पुलिसकर्मी के माध्यम से प्रार्थिया के किराये के निवास– पथौली पर पहुंचे और कहा कि घर में से अपनी चैक बुक लेकर आ। प्रार्थिया अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक बुक, जिसमें धनराशि नहीं है, को लेकर चालक पप्पन ने अपने कब्जे में ले ली और कार में बैठा कर पुनः थाना शमशाबाद पहुँचे। घटनास्थल किराये के मकान के आस–पास व गांव के लोग पुलिस कार व प्रार्थिया को देखकर आ गये और पुलिस पूछताछ की तो पुलिस ने कहा कि सरकारी काम हो रहा है। थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों ने सौरभ ठाकुर व गौरव ठाकुर आदि की उपस्थिति में दो चैक सं0– 000006, 0000007, बैंक ऑफ बड़ौदा के चैक धनराशि 4,00,000/रूपये एवं 5,00,000–/रूपये भरकर पुलिस की धौंस में जबरन

चैकों पर हस्ताक्षर कराकर बिना तारीख तथा बिना नाम के ठाकुर सौरभ, राजकुमार ठाकुर, शेख ठाकुर आदि प्रार्थिया व उसके पुत्र पंकज के सामने दे दिये और एक गमछे में नोटों की 2–3 गड्डी उक्त लोगों से थानाध्यक्ष व अन्य पुलिस कर्मियों ने ले ली। प्रार्थिया व उसके पुत्र पंकज के साथ हुयी उक्त घटना का सी.सी.टी.वी. कैमरे, जो थाने में लगे हुए कैद हैं। घटना का समय दोपहर 03.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे है तथा प्रार्थिया के किराये के मकान के आस–पास लगे सी. सी.टी.वी. कैमरों में उक्त कार व पुलिस कर्मियों में सी.सी. टी.वी. कैमरे में कैद है। प्रार्थिया व उसके पुत्र पंकज को पुलिस थानाध्यक्ष व गौरव ठाकुर, सौरभ ठाकुर, राजकुमार आदि ने थाने पर ऐलानियों धमकी दी कि उक्तघटना की शिकायत की तो झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में सड़वा देंगे। प्रार्थिया एंव उसके पुत्र पंकज ने थानाध्यक्ष व अन्य पुलिसकर्मियों की चैक देने व बातचीत की धौंस की वीडियो बनायी गयी है। थानाध्यक्ष एंव अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा एंव सौरभ ठाकुर, गौरव ठाकुर व राजकुमार ठाकुर आदि ने योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थिया व उसके पुत्र को अवैध हिरासत में रखा और जान से मारने की धमकी देते हुए झूठे मुकदमे में फंसाकर दो चैकों पर जबरन हस्ताक्षर भी कराये और वह चैक ठाकुरों को दे दिये। उपरोक्त कृत्य गम्भीर श्रेणी में आता है तथा पुलिस द्वारा मुकदमा वादी ठाकुरों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया एक गम्भीर अपराध है तथा प्रार्थिया व उसके पुत्र पंकज जाटव से थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों ने सफेद कोरे कागज पर अंगूठा हस्ताक्षर जबरन करा लिये हैं। अतः थाना शमशबााद, आगरा पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने हेतु आदेश पारित करने की याचना की गयी।

3– प्रार्थिया की ओर से अपने कथन के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की छायाप्रति, माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, श्रीमान पुलिस महानिदेश, पुलिस मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, श्रीमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, श्रीमान अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा को प्रेषित प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, डाक रसीदों की छायाप्रति, चार किता फोटो छायाप्रतियां, प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 43/2026 की छायाप्रति, आरोप–पत्र सं0 87/26 की छायाप्रति, थाना शमशबााद, आगरा की रिपोट प्रस्तुत किये गये हैं।

4– सम्बन्धित थाने से आख्या तलब की गई। थाना शमशाबाद, पुलिस कमिश्नरेट, आगरा की आख्या में कहा गया है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5– मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया गया।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से विपक्षीगण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कर एकराय होकर प्रार्थिया व उसके पुत्र को अपने सदोष परिरोध में रखकर उनके साथ मारपीट करने, गालीगलौच करने, जान से मारने की धमकी देने, छल व बेईमानी करने तथा यह जानते हुए कि प्रार्थिया अनुसूचित जाति की सदस्या हैं, को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का कथन किया गया है।

7– उपरोक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित थाने से प्राप्त आख्या में कथन किया गया है कि थाना शमशाबाद में आवेदिका श्रीमती विमला देवी उपरोक्त का ग्राम चितौरा में 13.5 विशवा जमीन है। उक्त जमीन 10.5 लाख रुपये में विक्रय करने का सौदा सौरभ पुत्र सरनाम सिंह के साथ हुआ, जिसमें दिनांक 03.10.2025 को 09 लाख रुपये बयाना के रुप में आवेदिका को दिया गया जिसका विडियो सौरभ के पास मौजूद है। आवेदिका द्वारा 09 लाख रुपये लेने के पश्चात जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रही थी, आज कल आज कल गुमराह करते हुए टहलाती रही। सौरभ का परमीशन का समय समाप्त हुआ तो आवेदिका श्रीमती विमला देवी द्वारा विपक्षी सौरभ को गालीगलोज व जान से मारने की धमकी देने लगी तथा बैनामा ना करने व रुपया वापस ना करने की बात करने लगी, जिस पर आवेदिका के पुत्र पंकज व सुमित एस.सी.एस.टी. एक्ट के झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी देने लगे जिस कारण सौरभ के विडियो व तहरीर के आधार पर उच्चाधिकारीगण के आदेश से थाना शमशाबाद पर मु0अ0सं0 43/26 बनाम अभियुक्तगण 1. आवेदिका विमला देवी पत्नी लालदास, 2. पंकज, 3. सुमित पुत्रगण लालदास, 4. उमेश पुत्र रोशनलाल पंजीकृत किया गया। उपनिरीक्षक श्री जितेन्द्र रावत के द्वारा विवेचना के क्रम में नोटिस अन्तर्गत धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. तामिल हेतु काफी प्रयास किया गया. लेकिन आवेदिका व उसके परिजन नोटिस के तामील हेतु तैयार नहीं हुए। दिनांक 06.05.2026 को आवेदिका विमला देवी अपने पुत्र के साथ नोटिस तामील हेतु थाना शमशाबाद पर उपस्थित आई, जहां वादी मुकदमा सौरभ से आवेदिका का आमना–सामना हुआ जिस पर आवेदिका द्वारा स्वयं प्रतिवादी/वादी मुकदमा सौरभ को 09 लाख रुपये का चैक दिया गया और तय हुआ उक्त मुकदमा को माननीय न्यायालय में वापस ले लेंगे। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्यों के आधार पर आवेदिका विमला देवी व प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित उमेश पुत्र रोशनलाल, पंकज, सुमित के विरुद्ध आरोप–पत्र सं0 87/26, दिनांक 09.05.2026 माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। आवेदिका से मात्र थाने पर नोटिस तामिल कराये जाने को लेकर बढ़ा–चढ़ा कर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखानुसार कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

8– थाने से प्राप्त उक्त आख्या से स्पष्ट है कि प्रार्थिया द्वारा जिस घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने हेतु प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थना दिया गया है, उस घटना के सम्बन्ध में पूर्व से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिया व उसके परिवारीजन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 43/2026 पंजीकृत कराया जा चुका है तथा विवेचना पश्चात आरोप–पत्र भी न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। तद्नुसार प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिया श्रीमती विमला देवी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(**शिव कुमार-II**)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट),
आगरा।

Digitally signed by Shiv Kumar II
Date: 2026.07.22 15:49:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court